

12.03.2022:—

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या 8 में प्रस्तुत हुई। प्रकरण में मूल वादपत्र संख्या 363/2018 राजीनामा के जरिये निस्तारित हो चुका है। इस कारण इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। अतः मूल वादपत्र के निस्तारण होने के कारण उक्त प्रार्थना-पत्र की औचित्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली उक्तानुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो।

A

सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत

सत्यमेव जयते

12/03/22

अध्यक्ष

राष्ट्रीय लोक अदालत

Web Copy - Not Official

